भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *251

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है।

.....

बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम

***251. श्री जी. सेल्वम:**
श्री सोयम बापू राव:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में नदी अपरदन को रोकने हेतु बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम/योजनाएं कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सफलता हासिल हुई है;

(ख) उक्त कार्यक्रमों/योजनाओं को कार्यान्वित करने में सरकार के समक्ष क्या समस्याएं आ रही हैं तथा उन्हें दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इसके अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित/स्वीकृत की गई है;

(घ) क्या सरकार ने विशेष और अति तत्काल ध्यान दिये जाने वाले क्षेत्रों की पहचान करने हेतु राज्यों से परामर्श किया है और इस समस्या का समाधान करने में एक संयुक्त प्रयास आरंभ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष रहे; और

(ङ) क्या सरकार बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में नदी अपरदन रोकने हेतु कोई ठोस कदम उठा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा देश में मृदा/तट अपरदन को रोकने, वर्षा जल का संरक्षण/उपयोग करने तथा बार-बार आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा और कौन से उपाय किये जाने का विचार है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेंद्र सिंह शेखावत)

(क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

श्री जी. सेल्वम और श्री सोयम बापू राव द्वारा "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" के विषय में पूछे गए दिनांक 05.12.2019 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *251 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) कटाव रोधन स्कीमों सहित बाढ़ प्रबंधन स्कीमें, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी स्वयं की निधि से अपनी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहक वित्तीय सहायता देकर राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

भारत सरकार द्वारा नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधन, जल निकासी विकास, बाढ़ रोधन निर्माण कार्य, बाढ़ प्रबंधन संबंधी क्षतिग्रस्त निर्माण कार्यों के पुनरूद्धार और समुद्र कटावरोधन निर्माण कार्यों के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से XIवीं योजना के दौरान "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" (एफएमपी) नामक एक राज्य क्षेत्र स्कीम शुरू की गई थी, जो XIIवीं योजना में भी जारी रही। XIIवीं योजना के बाद तीन वर्षों 2017-18 से 2019-20 तक एफएमपी स्कीम, जल शक्ति मंत्रालय के "बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)" के घटक के रूप में शामिल की गई है।

XIवीं और XIIवीं योजना के दौरान एफएमपी के अंतर्गत 522 परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं जिनकी अनुमानित लागत 13238.36 करोड़ रूपए थी। इसके बाद स्कीम के अंतर्गत कोई नई परियोजनाएं शामिल नहीं की गई हैं। XIवीं योजना के आरंभ से, एफएमपी के तहत राज्यों को मार्च, 2019 तक कुल 5863.95 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई। वर्ष 2018 में केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति ने एफएमपी के अंतर्गत XIवीं और XIIवीं योजना के दौरान अनुमोदित 522 परियोजनाओं की समीक्षा की है। समिति की रिपोर्ट के अनुसार 403 स्कीमें वास्तव में पूरी हो चुकी हैं। XIवीं और XIIवीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन से 3.466 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र और 26.58 मिलियन लोगों की काफी हद तक सुरक्षा की गई है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन के समय उन्हें पेश आने वाले मुख्य मुद्दे/समस्याएं परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, मुकदमेबाजी, राज्य के हिस्से की राशि जारी न होना, अपर्याप्त बजट आबंटन हैं जिससे परियोजनाओं को पूरा करने का समय अवधि बढ़ जाती है। परियोजनाओं में आने वाली समस्याओं के समाधान और उन्हें जल्दी पूरा करने के लिए राज्य सरकारों/परियोजना प्राधिकारियों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। वर्ष 2018 में केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति ने परियोजनाओं के पूरा होने की स्थिति, प्राथमिकीकरण और उनके जारी रहने अथवा अन्य तरीके की गहन जांच की गई है, जिसके लिए संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ परियोजनाओं के स्थान के संयुक्त दौरे किए गए।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में एफएमबीएपी के एफएमपी घटक के अंतर्गत राज्यों को जारी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(घ) पूरे देश में 2020-2023 की अवधि में बाढ़ प्रबंधन निमंण कार्यों और नदी प्रबंधन कार्यों तथा सीमा क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए कार्यनीति तैयार करने हेतु नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में नीति आयोग ने एक समिति बनाई है। इसके अलावा, भारत सरकार के अधिकारी, क्षेत्र के विशेषज्ञ, जम्मू एवं कश्मी , उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम, अरूणाचल प्रदे , त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और केरल के प्रधान सचिव भी नीति आयोग द्वारा बनाई गई समिति के सदस्य हैं।

(ङ) बाढ़ प्राकृतिक आपदा है और यह कई कारणों जैसे कि समय और स्थान के अनुसार वर्षा की मात्रा में भारी अंतर के साथ-साथ सामान्य वर्षा की प्रवृत्ति में बार-बार परिवर्तन, नदियों की अपर्याप्त संवाहक क्षमता, नदी तट कटाव, नदी तल में गाद जमा होने, भूस्खलन, खराब प्राकृतिक जल निकासी, हिमगलन और ग्लेशियल झीलों के फटने के कारण आती है। भारत सरकार प्रभावी बाढ़ प्रबंधन में राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए लगातार प्रयास करती आ रही है। इन प्रयासों के तहत समय-समय पर विभिन्न विशेषज्ञ समितियां/कार्यबल/आयोग भी स्थापित किए गए, जिन्होंने बाढ़ समस्याओं का अध्ययन किया और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित करने के लिए समुचित बाढ़ प्रबंधन उपायों की सिफारिश की। महत्वपूर्ण प्रयासों का सार इस प्रकार है:

(i) गंगा बेसिन राज्यों की बाढ़ तथा कटाव समस्याओं का समाधान करने के लिए पटना में वर्ष 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) की स्थापना की गई। जिसके द्वारा गंगा बेसिन राज्यों के लिए 23 व्यापक मास्टर प्लान तैयार किए गए हैं और संबंधित राज्यों को कार्यान्वयन के लिए परिचालित किए गए हैं।

(ii) वर्ष 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (आरबीए) की स्थापना की गई जिसने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बाढ़ नियंत्रण के विभिन्न उपायों की सिफारिश की गई थी।

(iii) उत्तरी बंगाल और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ कटाव की समस्याओं के समाधान के लिए 1980 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना की गई। जिसके द्वारा 57 मास्टर प्लान तैयार किए गए हैं और संबंधित राज्यों को कार्यान्वयन के लिए परिचालित किए गए हैं।

(iv) अगस्त, 2004 में स्थापित बाढ़ प्रबंधन/कटाव नियंत्रण संबंधी कार्यबल-2004 ने दिसंबर, 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें असम और पड़ोसी पूर्वोत्तर राज्यों, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रबंधन और कटाव नियंत्रण के तात्कालिक, अल्पावधि और दीर्घावधि उपायों की सिफारिश की गई है।

(v) भारत सरकार द्वारा जल संसाधन संबंधी अन्य मुद्दों के साथ-साथ भारत में बाढ़ प्रबंधन पहलुओं पर पड़ोसी देशों अर्थात नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन से लगातार बातचीत की जा रही है।

(vi) गैर-संरचनात्मक उपाय के तौर पर, केन्द्रीय जल आयोग ने देशभर में बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली स्थापित की है और वह 325 केन्द्रों पर बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है। जल स्तर पूर्वानुमान प्रयोक्ता अभिकरणों को, लोगों से स्थान खाली करवाकर उन लोगों को तथा उनकी चल संपत्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाने जैसे उपशमनकारी उपायों के विषय में निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। विभिन्न बांध प्राधिकारी द्वारा अंतर्वाह पूर्वानुमान का प्रयोग बाढ़ के पानी के अनुप्रवाह के सुरक्षित पैसेज के लिए जलाशयों के अनुकूलतम प्रचालन और गैर-मानसून अवधि के दौरान पानी की मांग को पूरा करने के लिए जलाशयों में पर्याप्त जल संचय सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

(vii) भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति, 2012 जारी की है जिसमें एकीकृत बाढ़ प्रबंधन के लिए बड़े भंडारण जलाशयों के निर्माण तथा अन्य गैर-संरचनात्मक उपायों पर जोर दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

"बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" के विषय में दिनांक 05.12.2019 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *251 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी धनराशि की स्थिति (एफएमपी)

करोड़ रूपए

क्र.□□	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2016-17 □□ दौरान जारी धनराशि	वित्त वर्ष 2017-18 □□ दौरान जारी धनराशि	वित्त वर्ष 2018-19 □□ दौरान जारी धनराशि	वित्त वर्ष 2019-20 □□ दौरान जारी धनराशि (□□□□, 2019 □□)	जारी कुल धनराशि
1	अरूणाचल प्रदेश	23.69	21.18	-	-	44.87
2	असम	-	245.49	142.11	6.32	393.92
3	बिहार	-	-	16.58	-	16.58
4	हिमाचल प्रदेश	50	87.5	162.6	88.2	388.3
5	जम्मू एवं कश्मीर	40.56	110.4	52.1984	52.62	255.77
6	केरल	-	19.05	-	-	19.05
7	मिजोरम	-	0.47	-	-	0.47
8	नागालैंड	23.13	-	10.84	-	33.97
9	उत्तर प्रदेश	-	13.55	15.58	24.13	53.26
10	उत्तराखंड	-	-	4.63	-	4.63355
11	पश्चिम बंगाल	12.61	65.03	23.65	117.12	218.41
	□□□	**149.99**	**562.67**	**428.20**	**288.12**	**1429.25**